



१५
14-11-19
14-11-19

न्यायालय उपखण्ड- अधिवक्ता मंच, भवनागड़ा

मानसिद्ध- वनाद चूडीलाल

C.N.

दावा अंतर्गत धारा 53 88 R.T. Act.

प्रतिनिष्ठा वास्तु स्वामि के आदेश को set aside करने एवं दावा पुनः नखर पर लेने अंतर्गत आदेश 9 खल 4 अला दिवानी

मान्यवर,

निवेदन है कि उपरोक्त उक्तान के प्रकरण में गत तारीख पेशी पर वादी बीमार हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके हैं तथा वकील/प्रापि अपने अधिवक्ता को भी उपस्थित होने की सूचना नहीं दे पाया था हेतु मैं श्रीमान के न्यायालय द्वारा वादी/प्रापि का दावा अदम्य अक्षर अदम्य परकी स्वामि कर दिया गया।

No Objection

इस प्रकार वादी/प्रापि को गत तारीख पेशी पर गैर हजिरी पर्याप्त एवं अदम्य कारणों पर आधारित होने से क्षमा योग्य है।

अतः प्रापि का पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि वादी/प्रापि के दावे में गत तारीख पेशी पर दिए गये स्वामि के आदेश को set aside करते हुए दावा पुनः नखर पर लेने की कृपा करें।

दिनांक
5.11.19

वादी (प्रापि)
अधिवक्ता अधिवक्ता